

10/3/2022

2017
00224

पत्राचार की प्रकृति को देखते हुए अखिलेश्वर वारी अनुयायियों
 अखिलेश्वर उतिकारीय उपस्थित लक्ष्मण
 (गणकद्वै गद, अखिलेश्वर वारी अखिलेश्वर वारी स्वयं
 उपस्थित नहीं हुए। आदेशिका 28/7/2022
 अनुयायि भी अखिलेश्वर वारी उपस्थित नहीं
 हुए। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी
 अदम सबुत में श्रावण किया जा रहा है। दिवस
 जारी है। पत्राचार के लिए शुभा लोक (गमक)
 से काम है।



(अखिलेश्वर वारी)
 अखिलेश्वर कलेक्टर एवं
 उपस्थित अधिकारी
 विवेकानंद (राज.)

अखिलेश्वर वारी
 प्रदीप 1-3

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 2 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर - चित्तौडगढ बईजलास
श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर चित्तौडगढ

1. लाली पुत्री मांगीलाल पत्नी नारायण कुमावत नि.सज्जनपुरा तह.व जिला
चित्तौडगढ

वादी

बनाम

1. मांगीलाल पिता प्रताप कुमावत नि.सज्जनपुरा तह.व जिला चित्तौडगढ
2. रतनलाल पिता मांगीलाल कुमावत नि.सज्जनपुरा तह.व जिला चित्तौडगढ
3. लालुराम पिता मांगीलाल कुमावत नि.सज्जनपुरा तह.व जिला चित्तौडगढ
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार साहब, चित्तौडगढ

प्रतिवादीगण

प्र.सं. 176/2017 (GCMS 2017/00224)

वादी की ओर से वकील श्री. — की, और प्रतिवादी की ओर से वकील श्री.अम्बालाल ओड की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद पत्र अदम हाजरी, अदम पैरवी व अदम सबूत मे खारीज किया जाता है।

इस वाद के खर्च — प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा — को दी जावे। यह आज दिनांक 10.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।



(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ (राज.)